(P)

कार्यालय संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र सं0:-438/ आर0ए0/2021

दिनांक 17 जून, 2021

DISP. No.- 1853
FILE No.- 23 C
DATE... 26-6-2021

विषय- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/ 2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.665 है. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, धुमाकोट को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।

अधिशासी अभियंता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रामनगर, (नैनीताल)।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 620/23सी. दिनांक 01.06.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/ 2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.665 है. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग, धुमाकोट को प्रत्यावर्तन के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/29/2021/एफ.सी./2471 दिनांक 17.03.2021 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 04 में सी.ए. लैण्ड अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को किसी अन्य परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित दिखाया गया है, कि स्थिति स्पष्ट किये जाने के संबंध में है। जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा तहसीदार नैनीताल को जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार नैनीताल द्वारा अपने पत्र कार्यालय के पत्र संख्या 401/र.का./2021 दिनांक 14 जून, 2021 से इस कार्यालय को आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

अतः तहसीलदार नैनीताल द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक = उपरोक्तानुसार।

(प्रतीक जैन),
संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी,
नैनीताल।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी,
नैनीताल।

प्रति सहायक अभियंता V/ वन भूमि सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/6/21

कार्यालय तहसीलदार नैनीताल।

पत्रांक 401 / र0का0 / 2021 दिनांक 14 जून, 2021

सेवा में,

संयुक्त मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी
नैनीताल।

विषय – **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला तक लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.665हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग धुमाकोट को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रामनगर नैनीताल के पत्र संख्या 620/23सी दिनांक 01.06.2021 के अनुपालन में जांच आख्या राजस्व उपनिरीक्षक बगड से ली गयी, उनके द्वारा अपनी जांच आख्या में अवगत कराया गया है कि संदर्भित पत्र में वर्णित बिन्दु 04 में सी0ए0 लैण्ड के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को किसी अन्य परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित दिखाया गया है में अवगत कराना है कि:–

1– ग्राम बगड तल्ला पट्टी बगड तहसील व जिला नैनीताल के नॉन0 ज्येड0ए0 खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 148 मध्ये 2.565हे. भूमि पतलिया से जस्यूडा तक लिंक मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 195 / बारह–10 / ज्येड0ए0सी0 / 2019 दिनांक 01 फरवरी 2020 के अनुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित की गयी है।

2– बगड तल्ला के ही उपरोक्त नॉन0ज्येड0ए0 खाता व खसरा मध्ये 3.330हे. भूमि अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्र संख्या 268 / 12–ज्येड0ए0सी0 / 2020 दिनांक 29.09.2020 के अनुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित की जा चुकी है।

उक्त खसरा नम्बर 148 का कुल रकबा 7.039हे. है, जिसमें से उपरोक्त दोनो मोटर मार्ग हेतु 2.565हे. एवं 3.330हे. कुल रकबा 5.895हे. भूमि उक्त खसरा नम्बर में से वन विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर मध्ये 1.144हे. भूमि शेष है। जबकि पूर्व में जनपद नैनीताल में ग्राम जैना से चन्द्रकोट धूरा तक मोटर मार्ग के निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बगड तल्ला के नॉन0ज्येड0ए0 खाता संख्या 32 के खसरा नम्बर 148 मध्ये 3.258हे. भूमि चयनित कर उक्त भूमि का प्रस्ताव मय अभिलेखों के वर्ष 2017 में तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रेषित किया गया था। सम्बन्धित विभागों द्वारा संयुक्त निरीक्षण उपरान्त उक्त भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया, जिसमें पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय भारत सरकार देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या 8वी / यू0सी0पी0 / 06 / 2020 / एफ0सी0 / 1295 दिनांक 18.09.2020 द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आदेश प्राप्त होने से पूर्व ही ग्राम बगड तल्ला के नॉन0ज्येड0ए0 खसरा नम्बर 148 मध्ये पतलिया (बलना) से जोस्यूडा एवं अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मोटर मार्ग के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.895हे. भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी थी। तत्पश्चात जैना से चन्द्रकोट धूरा तक मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.258हे. भूमि खसरा नम्बर 148 मध्ये शेष 1.144हे. कम होने व अनउपयुक्त होने के सापेक्ष उसी ग्राम बगड तल्ला के नॉन0ज्येड0ए0 खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 381 कुल रकबा 4.327हे. मध्ये भूमि कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 323 / 12–ज्येड0ए0सी0 / 2020–21 दिनांक 16 फरवरी 2021 के क्रम में तहसील नैनीताल के आदेश 16.02.2021 को वन विभाग के नियंत्रण में हस्तान्तरित की जा चुकी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक बगड की जांच आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

तहसीलदार,
नैनीताल।